राज्य आकस्मिकता निधि से आहरण
संख्या–2183/52–3–2012–सा(2)/2012

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2012

विषयः–अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1952/अ0सं0क0नि0/पु0शा0/शिक्षा दिनांक 28 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1326/52–3–2012–सा(2)/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2012 में निर्गत दिशा–निर्देशों के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान प्रदान किये जाने के निमित्त रू0 20,00,00,000/– (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी भी दशा में पुनर्विनियोग/व्यायवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में निश्चित रूप से करा ली जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किया गया वास्तविक व्यय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा निधि से संबंधित लेखे में अभिलिखित किया जायेगा।

2– इस निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में कोई आय–व्ययक प्राविधान उपलब्ध नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में बी0पी0एल0 परिवारों की कक्षा–10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा अथवा विवाह हेतु अनुदान प्रदत्त किये जाने के निमित्त रू0 1,00,00,00,000/– (रूपये सौ करोड़ मात्र) का आय–व्ययक प्राविधान है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित विषयांकित नवीन योजना से भिन्न है। अतः उक्त योजना हेतु लेखाशीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–80 सामान्य–800 अन्यय व्यय–0308–बी0पी0एल0

G.O.

परिवारों की कक्षा–10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा अथवा विवाह हेतु अनुदान–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को फ्रीज करते हुये श्री राज्यपाल महोदय विषयांकित नवीन योजना के संचालन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रू0 20,00,00,000/– (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस पर होने वाला व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि 8000 आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोग के नामे डाला जायेगा और अन्ततः अनुदान संख्या–48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–80–सामान्य–800 –अन्य व्यय–03–09 कक्षा–10 पास अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को आगे की शिक्षा अथवा विवाह हेतु अनुदान–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–952/दस–2012 दिनांक 07 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लीना जौहरी)
सचिव।

वित्त विभाग का पृष्ठांकन

संख्या–ई–11–952(1)/सी0एफ0 सं0–05/2012 दिनांक 07सितम्बर,2012

प्रतिलिपि महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(रंजन मिश्रा)
संयुक्त सचिव, वित्त

संख्या–2183(1)/52–3–12–तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4–सहायक निदेशक, समवर्ती सम्परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद।
4–वित्त (ई–11) अनुभाग/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1(02 प्रतियों में)।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार मिश्र)
उप अनु सचिव

G.O.